न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

निगरानी संख्या 16 / 23 वर्ष 2023

जीसीएम संख्या :–2023 / 86

बउनवानी:– 1. बदरी पुत्र काना मीना निवासी गम्भीरा तहसील सवाईमाधोपुर

बनाम

1. कजोड पुत्र अम्बालाल मीना निवासी गम्भीरा तहसील सवाईमाधोपुर
2. सीताराम पुत्र अम्बालाल मीना निवासी गम्भीरा तहसील सवाईमाधोपुर
3. धर्मराज पुत्र नन्दा मीना निवासी गम्भीरा तहसील सवाईमाधोपुर
4. लोडो पुत्र श्योजी मीना निवासी गम्भीरा तहसील सवाईमाधोपुर
5. हंसराज पुत्र रोडू मीना निवासी गम्भीरा तहसील सवाईमाधोपुर
6. ओमप्रकाश पुत्र रोडू मीना निवासी गम्भीरा तहसील सवाईमाधोपुर
7. किसकन्धा पुत्री रोडू मीना निवासी गम्भीरा तहसील सवाईमाधोपुर
8. कोमल पुत्री कानजी मीना निवासी गम्भीरा तहसील सवाईमाधोपुर
9. निशा पुत्री कानजी मीना निवासी गम्भीरा तहसील सवाईमाधोपुर
10. परी पुत्री कानजी मीना निवासी गम्भीरा तहसील सवाईमाधोपुर
11. रामधनी पत्नि कानजी मीना निवासी गम्भीरा तहसील सवाईमाधोपुर
12. सूरज पुत्र कानजी मीना निवासी गम्भीरा तहसील सवाईमाधोपुर
13. चैयरमैन आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
14. तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(निगरानी प्रार्थना विरूद्व आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति के अनुसार दिनांक 06.05.1973 (मूल आवंटन मिसल के अनुसार 26.5.1973) उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियम,1970)

उपस्थितः– 1. श्री श्याम मोहन शर्मा — वकील प्रार्थी

2. श्री श्यामसुन्दर गुप्ता — वकील अप्रार्थीगण

–: निर्णय :– दिनांक 01.04.2026

निगरानी गुजरान द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र आवंटन सलाहकार समिति उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा किये गये कृषि भूमि आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति के अनुसार दिनांक 06.05.1973 (मूल आवंटन मिसल के अनुसार 26.5.1973) के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि कथित आवंटन आदेश अवैधानिक है जिसको खारिज फरमाया जावे।

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी को सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।

वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि आवंटन सलहाकार समिति द्वारा आवंटन रूल्स के विपरीत जाकर वाके ग्राम गम्भीरा मे अम्बालाल पुत्र किशना मीना को आराजी खसरा नम्बर साविक 1282 / 3 मे 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि जो कि गैर मुमकिन रास्ते की भूमि है को विधि विरूद्व तरीके से आवंटित कर दी गयी है जबकि गै0मु0 रास्ते की भूमि का आवंटन राजस्थानकार काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 16 मे आवंटन से वर्जित भूमि की श्रेणी मे आती है तथा धारा 16 मे वर्णित भूमि किसी भी पक्षकार को ना तो आवंटित की जा सकती है ओर ना ही उसका नियमन किया जा सकता है यह मेण्डेट्री नियम है। उक्त भूमि गै0मु0 रास्ते की भूमि होने का प्रमाण आवंटी अम्बालाल द्वारा भूमि आवंटन बाबत प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के मद संख्या 3 मे भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता अंकित की है हल्का पटवारी ने भी अपनी रिपोर्ट में कॉलम संख्या 5 मे आवंटित भूमि को गैर मुमकिन रास्ता होना दर्ज किया गया है जबकि चरागाह,वन विभाग की भूमि, रेल्वे की भूमि, गै0मु0 रास्ते की भूमि नदी,नाले,तालाब, गै0मु तलाई की भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन हेतु वर्जित बताया गया है। किन्तु आवंटी द्वारा अधिकारियों से साझ कर बिना उदघोषणा जारी किए करवाया गया है जबकि आवंटन नियम के मुताबिक आवंटन किये जाने से 15 दिवस पूर्व उदघोषणा जारी किये जाना आवश्यक है। आवंटन अधिकारी से साज की पुष्टि

.....(1).....

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

पटवारी रिपोर्ट पर गोर किये बिना आवंटन आदेश जारी करने से हो जाती है। आवंटन के पश्चात भी आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का पालन नही किया है क्योकि आवंटन वर्ष मे 50 प्रतिशत एवं द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष में सम्पूर्ण आवंटित भूमि पर काश्त करना आवश्यक है किन्तु आवंटित भूमि पर आवंटी का आज दिनांक तक कब्जा काश्त नही है। क्योकि उक्त आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण द्वारा अमरूद्व के पौधे लगाकर, टयूबवेल, विधुत कनेक्शन लगे हुए है इसलिए भी उक्त आवंटन खारिज किये जाने योग्य है। राजस्व कर्मचारियों से साज कर उक्त आवंटित भूमि को आवंटी द्वारा रोडू पुत्र नेन्या को बेचान कर दी तथा मृतक रोडू के वारिसान प्रार्थना पत्र मे बतौर अप्रार्थी दर्ज है। उक्त आवंटन आदेश पर आवंटन सलाहकार समिति के सभी सदस्यो के हस्ताक्षर नही है केवल मात्र सरपंच उपस्थित था अन्य सदस्य तहसीलदार वगै. अनुपस्थित थे। इस प्रकार उक्त आवंटन आदेश मे धारा 16 का उल्लंघन होने, कौरम पूर्ण नही होने, आवंटित भूमि पर कब्जा नही होने से आवंटन शर्तो का पालना नही करने आवंटन आदेश खारिज किये जाने योग्य है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश जैर निगरानी खारिज किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि आदेश जैर निगरानी मे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नही है क्योकि प्रार्थी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष आवंटन हेतु आवेदन पत्र पेश किये जाने पर पटवारी द्वारा उक्त भूमि पर मुझ अप्रार्थी का कब्जा होने तथा उक्त भमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 1250 के सहारे होने से विधिवत रूप से आवंटित की गयी है। उक्त भूमि आवंटन योग्य नही के संबंध मे आवंटी का कोई दोषी नही है। यह भी तर्क दिया कि हो सकता है उक्त भूमि आवंटन से पूर्व गै0मु0 रास्ते की भूमि नही रही हो। वर्तमान मे उक्त भूमि पर किसी प्रकार का रास्ता नही है। इसलिए धारा 16 का कोई उल्धंन नही हुआ है। अतः प्रार्थी की ओर से बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज कर आदेश जैर निगरानी यथावत रखने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा लिखित बहस मे अंकित तथ्यो एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है, कि आवंटन सलाहाकर समिति द्वारा आवंटी अम्बालाल पुत्र किशना मीना निवासी गम्भीरा के पक्ष मे आराजी साबिक ख0न0 1262/3 गै0मु0 रास्ते की भूमि मे 1 बीघा 19 बिस्वा का आवंटन किया गया है जबकि चरागाह भूमि ,वन भूमि, रेल्वे की भूमि, गै0मु0 रास्ते की भूमि नदी,नाले,तालाब, गै0मु तलाई की भूमि को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन हेतु वर्जित रखा गया है अर्थात ऐसी भूमि का किसी को आवंटन नही किया जा सकता है। आवंटन मिसल मे पटवारी रिपोर्ट के कम संख्या 2 मे आवंटन के समय आवंटि के पास 1 बीघा 3 बिस्वा चाही एवं 23 बीघा 15बिस्वा भूमि बारानी अंकित की गयी है जिससे यह सिद्व होता है कि आवंटी आवंटन के समय भूमिहीन व्यक्ति नही था अर्थात आवंटन नियमो के अनुसार आवंटी उक्त भूमि के आवंटन के योग्य नही था। आवंटन सलाहकार समिति के सभी सदस्यो के हस्ताक्षर भी आवंटन आदेश पर नही है। किन्तु उक्त भूमि गैर मुमकिन रास्ते की होने के कारण प्रार्थी भी उक्त भूमि का उपयोग नही कर सकता है। उपरोक्त तथ्यो के आधार पर आवंटी के पक्ष मे किया गया उक्त आवंटन विधिविरूद्व होने से खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) स्वीकार किया जाकर आदेश जैर निगरानी आवंटन आदेश दिनांक 26.5.1973 खारिज किया जाता है एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि पर से प्रार्थी को बेदखल कर रास्ते के उपयोग हेतु रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner